राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, क्यारटू, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश) के छात्र निधियों लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2000 से 3/2014

भाग—एक

1 **प्रारम्भिकः—**

(क) राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, क्यारटू, तहसील ठियोग, जिला शिमला के अवधि 4/2000 से 3/2014 के छात्र निधियों के लेखों का प्रथम अंकेक्षण श्री अनिल कुमार अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनाँक 22.9.14 से 6.12.14 के दौरान क्यारटू में किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुछेदों में वर्णित है। वर्तमान अंकेक्षण के दौरान आय तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु निम्न मासों का चयन किया गया है। सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या (क)(9)—2/81—शिक्षा (क)—2 दिनाँक 28.12.1999 के तहत संस्कृत पाठशाला को महाविद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया गया।

वर्ष	आय	व्यय
2000—01	07/2000	9/2000
2001—02	9/2001	11/2001
2002—03	9/2002	10/2002
2003—04	9/2003	12/2003
2004—05	9/2004	10/2004
2005—06	8/2005	10/2005
2006—07	8/2006	12/2006
2007—08	8/2007	6/2007
2008—09	6/2008	12/2008
2009—10	6/2009	6/2009
2010—11	6/2010	2/2011
2011—12	6/2011	11/2011
2012—13	6/2012	03/2013
2013—14	6/2013	06/2013

(ख) अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित प्राचार्य, महाविद्यालय क्यारटू में कार्यरत्त रहेः–

1	श्री बन्सी लाल	1.4.2000 से 02.07.2003
2	श्री प्रशोतम लाल	03.07.2003 से 28.05.2008
3	श्री लीलाधर वस्तस्यायन	29.05.2008 से 20.10.2010
4	श्री केश्वानन्द कौशल	31.03.2011 से 24.7.2013
5	श्री प्रवीन कुमार वीमल	25.07.2013 से 31.3.2014

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्थाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना अथवा जो सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई, के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित है।

2 अंकेक्षण शुल्कः–

राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, क्यार्टू के छात्र निधि लेखाओं अवधि 4/2000 से 3/2014 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹76000/– बनता है जिसे संस्था के प्राचार्य, द्वारा हिमाचल प्रदेश कोओपरेटिव बैंक, ठियोग के चैक संख्या 120951 दिनाँक 1.12.14 के तहत निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दिया गया है।

3 वित्तीय स्थितिः–

राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की अवधि 1.4.2000 से 31.3.2014 की वित्तीय स्थिति उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट "क")** पर संलग्न है।

4 निवेशः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान महाविद्यालय द्वारा कोई भी राशि सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेश नहीं करवाई गई थी बचत खातों में लाखों रूपये बिना उचित निवेश के पड़ी थी यदि इस राशि को समय पर उचित वित्तीय प्रबन्धन करते हुए सावधि जमा के निवेश किया जाता तो इससे महाविद्यालय को अतिरिक्त ब्याज के रूप में आय प्राप्त हो सकती थी। अतः बचत खाते में पड़ी अधिकतम राशि को उचित भागों में बाँटकर सावधि जमा योजना में निवेश

किया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी एक सावधि जमा निवेश को समय पर भुनाया जा सके तथा अन्य निवेशों पर नियमित रूप से अतिरिक्त ब्याज की आय प्राप्त हो सके।

5 खेल निधिः—

(क) ₹18262/— का सम्भावित दुर्विनियोजनः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था के छात्र खेल निधि के खाते में रोकड़ बही अनुसार दिनाँक 31.3.2003 के ₹18262/— शेष थे परन्तु 31.3.03 के बाद इस राशि को अग्रेनीत नहीं किया गया और न ही इस निधि को किसी उद्देश्य हेतु उपयोग किया दर्शाया गया था जिससे स्पष्ट है कि इस निधि से ₹18262/— का सम्भावित दुर्विनियोजन किया गया है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए यह मामला शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

(ख) छात्र परीक्षा निधियों को बिना रोकड़ बही में प्रविष्टि किये सीधे विश्वविद्यालय में जमा करने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा अवधि 2002—03 तक विश्वविद्यालय परीक्षा निधि को छात्रों से इकटठा करके सीधे बिना रोकड़ बही में प्रविष्टि करके विश्वविद्यालय में जमा किया गया था जोकि अनियमित था जबकि छात्रों से प्राप्त की गई राशि को पहले रोकड़ बही में प्रविष्टि करके सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके भुगतान किया जाना अपेक्षित था। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में इस प्रकार भुगतान करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए प्रत्येक निधि का उचित ढ़ंग से रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) विभिन्न निधियों के रूप में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला में कम जमा करवाने बारेः—

अंकेक्षण अवधि 4/2000 से 3/2014 के दौरान विभिन्न निधियों के रूप में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में ₹8741/— कम जमा किये गये जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "बी"** पर संलग्न किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व पुनः जाँच करने के उपरान्त अपेक्षित राशि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को प्रेषित करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6 **मिश्रित निधिः–**

(क) कार्यालय में स्थापित Eerox Photostate Machine Model No. 5816/5821 की मुरम्मत पर ₹5284/– का व्यय मिश्रित निधि से किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

बिल सं0/दिनाँक	फर्म का नाम	ब्यौरा	राशि ₹ में
1660/9.7.10	मै0 नार्थ डेकोमैन्टस, एस0सी0ओ0–75 ब्लॉक नं0 II, कसुसम्पटी शिमला–9	रीफिलिंग एवं एकेसटेशन	805
1852/8.7.10	ज्योरेक्स सतलुज डोकोमेन्टस खलीनी शिमला	सर्विस चार्जिज ज्योरेक्स फोटोस्टेट मशीन	2206
369/8.7.10	–यथोपरि–	ज्योरेक्स टोनर मॉडल 5816/5821/5834	2273
		योग	**5284**

उपरोक्त बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि बिलों का भुगतान बिना सक्षम अधिकारी से पारित करवाये किया गया जबकि भुगतान से पूर्व बिल/वाउचर सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाये जाने अपेक्षित थे। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व अनियमित तरीके से किये गये भुगतान को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए।

(ख) उक्त फोटोस्टेट मशीन का उपयोग महाविद्यालय कार्यालय के कार्य हेतु किया जा रहा है और इसकी मुरम्मत पर होने वाला खर्च भी कार्यालय खर्च से किया जाना अपेक्षित था। अतः यह व्यय छात्र मिश्रित निधि से उचित प्रभार नहीं था। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व अनियमित तरीके से किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए अन्यथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति मिश्रित निधि से की जानी सुनिश्चित की जाये।

(ग) उक्त मशीन की मुरम्मत पर समय–2 किये जा रहे व्यय से सम्बन्धित अभिलेख यानि मुरम्मत रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था जिससे मशीन की मुरम्मत पर कुल कितना व्यय किया जा चुका था। इसकी पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः मशीन की मुरम्मत पर होने वाले व्यय से सम्बन्धित मुरम्मत रजिस्टर का रख रखाव किया जाये ताकि मशीन की मुरम्मत पर होने वाले कुल व्यय का समय–समय पर पता चल सके।

(2) समाचार पत्रों के खरीद से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव व बिलों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करवाने बारेः–

(क) समाचार पत्रों आदि की खरीद निम्नलिखित व्यय मिश्रित निधि से किया हैः–

बिल संख्या / दिनाँक	फर्म का नाम	ब्यौरा		राशि ₹ में
469 / 1.5.07	मै0 मदन न्यूज एजैन्सी बल्देयाँ, जिला शिमला	5 / 07	अमर उजाला	90
			पंजाब केसरी	73
				163
473 / 1.6.07	–यथोपरि–	6 / 07	अमर उजाला	93
			पंजाब केसरी	75
				168
493 / 1.7.07	–यथोपरि–	7 / 07	अमर उजाला	90
			पंजाब केसरी	73
				163
492 / 1.8.07	–यथोपरि–	8 / 07	अमर उजाला	93
			पंजाब केसरी	75
				168
शून्य / 4 / 2001	मै0 शर्मा न्यूज एजैन्सी ठियोग जिला शिमला	4 / 01 एवं 5 / 01	अमर उजाला	122
शून्य / 10 / 2001	–यथोपरि–	10 / 01	31 टी0आर0 31 अमर उजाला	132
शून्य / 11 / 2001	–यथोपरि–	11 / 01	अमर उजाला	66
39454 / 24.11.01	मै0 मिनरवा बुक हाउस दी माल, शिमला		इन्कम टैक्स बुक	45
शून्य / 12 / 01	मै0 शर्मा न्यूज एजैन्सी बस स्टैन्ड, ठियोग जिला शिमला	10 / 01	अमर उजाला	72
शून्य / 8 / 02	–यथोपरि–	8 / 02	Indian Express	70

शून्य/9/02	–यथोपरि–	9/02	दैनिक भास्कर	68
212/12/02	–यथोपरि–	12/02	अमर उजाला	71
		9/02		67
		10/02		70
				208

उक्त बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 1.5.07 से 30.4.2001 तक के क्रय किये गये समाचार पत्रों के बिलों को बिना सक्षम अधिकारी से पारित करवाये भुगतान किया गया जो अनियमित है। अतः बिलों को बिना सक्षम अधिकारी से पारित करवाये भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। इसके अतिरिक्त उक्त समाचार पत्रों के व्यय का वहन मिश्रित निधि से किया और समाचार पत्रों से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में भुगतान के सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः स्टॉक रजिस्टर अब तैयार किया जाए व भण्डारण रजिस्टर में प्रविष्टियाँ सक्षम अधिकारी द्वारा भी सत्यापित करवाई जाए व अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा में दिखाई जाए।

(3) साँऊड सिस्टम की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करने बारेः–

मिश्रित निधि से ₹1498/– का भुगतान मै0 प्रकाश रेडियो, दी माल, शिमला को बिल संख्या 1110 दिनाँक 13.11.03 के तहत एक नं0 Ahuja Mike, Stand तथा 25 मीटर वायर के लिये किया गया उक्त व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि नियमानुसार इस सामग्री की खरीद की प्रविष्टि चल अचल सम्पत्ति रजिस्टर में पूर्ण विवरण के साथ की जानी अपेक्षित थी जबकि संस्था द्वारा न तो इसकी प्रविष्टि चल अचल सम्पत्ति रजिस्टर में की गई और न ही अन्य रजिस्टर में जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और इस सामग्री की प्रविष्टि चल अचल सम्पत्ति रजिस्टर में अब करके सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाई जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त यदि इस प्रकार की अन्य सामग्री की प्रविष्टि जो स्टॉक में नहीं की गई तो उसकी प्रविष्टि नियमानुसार सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में की जानी सुनिश्चित की जाये।

(4) स्पोर्टस सामग्री ₹5117/– की खरीद से सम्बन्धित वस्तुओं की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करने बारेः–

मिश्रित निधि से मैसर्ज राजधानी स्पोर्टस, राम मन्दिर मार्किट, शिमला से खेल प्रतियोगिता एवं कालेज में छात्रों के खेल प्रैक्टिस हेतु विभिन्न–2 खेल सामग्री की खरीद की जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

बिल सं0/दिनाँक	सामग्री का ब्यौरा	दर ₹ में	राशि में ₹
5008/21.10.04	Volly Ball 2 No.	550	110
	Volly Ball Net 1 No.	200	200
	Foot Pump 1 No.	350	350
	Bedmintan Rockets 2 No.	150	300
	Badmintan Net 1 No.	120	120
	Shuttle Cock 3 Box	120	360
	Sports kit Bag 1 No.	200	200
			2630
		Vat	**105**
		Total	**2735**
5299/23.09.05	Volly Ball 3 No.	600	1800
	Shuttle Cock 2 Box	245	490
			2290
		Vat	**92**
		Total	**2382**

उक्त सामग्री से सम्बन्धित बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि इस सामग्री की प्रविष्टि सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः बिना स्टॉक प्रविष्टि किये बिलों का भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए जब तक सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि न कर दी जाये तब तक यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में जितनी सामग्री की खरीद की गई थी उतनी प्राप्त हो चुकी है। अतः उक्त सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि अब स्टॉक रजिस्टर में की जाये व भण्डारण रजिस्टर में प्रविष्टि सक्षम अधिकारी

द्वारा भी सत्यापित करवाई जाए अन्यथा राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके मिश्रित निधि खाते में जमा करवाई जाये।

(5) (क) मिश्रित निधि से निम्नलिखित विवरण अनुसार रसीद बुकों, Attendance Register, Identy Card आदि की आपूर्ति की गई।

बिल सं0/दिनाँक	फर्म का नाम	मद का ब्यौरा	राशि ₹ में
313/21.6.05	मै0 गगन प्रिटिंग प्रेस रहीघाट तहसील ठियोग जिला शिमला	12 Copies of Receipts 901 to 2100	720
406/16.6.06	–यथोपरि–	20 Nos Student Attendence Register	1800
		4 No. Receipts Books	560
		Total	2360
044/16.6.08	–यथोपरि–	5 No. Receipts Book 001-500 No.	450
155/2.6.09	–यथोपरि–	5 No. fee Books 1 to 500 Nos	450
67/6.9.10	–यथोपरि–	5 No. Adm. Register	1000
		5 No. of 200 each Charctor Certificate	875
			1875
068/6.9.10	मै0 गगन प्रिटिंग प्रेस रहीघाट, तहसील ठियोग जिला शिमला, हि0प्र0	50 Register (Attendance Register)	4500
448/शून्स	–यथोपरि–	3 Copies Duplicate Printing	450
438/4.6.11	–यथोपरि–	3 रसीद बुक with counter fail 1 to 300 Nos	150
439/11.6.11	–यथोपरि–	3 प्रतियाँ रसीद बुकें 1 to 300 Nos	150

उक्त रसीद बुकों के खरीद से सम्बन्धित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि दिनाँक 21.6.05 को क्रमाँक संख्या 901 से 2100 तक ही रसीद बुकें छपवाई गई। इसके

पश्चात 16.6.06 को किस क्रमाँक की रसीद बुकों छपवाई गई स्पष्ट नहीं किया और जबकि 16.6.08 को रसीद बुकों का क्रमाँक 1 से 500 दर्शाया गया तथा पुनः से दिनाँक 2.6.09 को छपवाई गई रसीद बुकें फिर से क्रमाँक 1 से 500 दर्शाया गया और दिनाँक 4.6.11 तथा 11.6.11 को क्रमाँक संख्या 1 से 300 दर्शाकर छपवाई करवाई गई थी महाविद्यालय द्वारा उपयोग में लाई जा रही रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव उचित ढ़ंग से नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रयोग की गई रसीद बुकों व शेष रसीद बुकों का किसी प्रकार से सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः सुझाव दिया जाता है कि रसीद बुकों का क्रमवार/संख्यावार इन्द्राज करके ही प्रयोग में लाया जाए ताकि किसी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रहे व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त छपवाई गई अन्य सामग्री की भी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई थी क्योंकि लेखा परीक्षा के दौरान स्टॉक रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः Student Attendance Register और अन्य छपवाई गई सामग्री का नियमानुसार स्टॉक में स्टॉक प्रविष्टि तथा इसका उपयोग कब–कब किया गया का पूर्ण विवरण दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये व भण्डारण रजिस्टर में प्रविष्टियाँ सक्षम अधिकारी द्वारा भी सत्यापित करवाई जाए।

8 सांस्कृतिक कार्यक्लाप निधिः–

(Culture Activity Fund)

(क) (i) ₹738/– के वाउचर उपलब्ध न करवाने बारेः–

माह 9/2000 में साँस्कृतिक कार्यक्लाप निधि से डी0ए0वी0 कालेज काँगड़ा में संस्कृत नाटक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये ₹3000/– व्यय किये दर्शाए गए है लेकिन अंकेक्षण में निम्नविवरणानुसार केवल ₹2262/– के वाउचर उपलब्ध करवाए गए अर्थात ₹738 के वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये।

यात्रा का व्यय	1589
दिनाँक 15.9.2000 को नाश्ते आदि पर खर्च	45
दिन के भोजन आदि पर खर्च दिनाँक 15.9.2000	160
सौन्दर्य प्रसाधन पर व्यय	144
18.9.2000 को सुबह नाश्ते पर व्यय	63

18.9.2000 को दिन के भोजन पर व्यय	105
17.9.2000 को शाम के भोजन पर व्यय	156
कुल योग	**2262**

अंकेक्षण के दौरान भी इस बारे कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अतः उक्त राशि ₹738/– के दुरूपयोग किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए यह प्रकरण शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त उक्त ₹2262/– के व्यय वाऊचरों को सक्षम अधिकारी से पारित/सत्यापित नहीं करवाये गये थे जिस सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए।

(2) उक्त वर्णित व्यय के विवरण में ₹144/– जोकि सौन्दर्य प्रसाधन पर व्यय किये गये दर्शाये गये थे से सम्बन्धित बिल के साथ संलग्न नहीं था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और ₹144/– के खर्च से सम्बन्धित व्यय वाउचर को साथ संलग्न किया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली भी उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा की जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) रोकड़ बही के अनुसार माह 12/03 को सांस्कृतिक कार्यक्लाप निधि से ₹8613/– का व्यय निम्नविवरणानुसार किया गया।

बिल संख्या/रसीद संख्या	फर्म का नाम	मद का ब्यौरा	राशि ₹ में
221 दिनाँक 13.11.03	मै0 जगत राम मदन लाल लोअर बाजार शिमला	6 नं0 किनौरी टोपी	270
507 दिनाँक 13.11.03	मै0 आर्शीवाद अक्लोसिव शिमला	कपड़े	4352
7000 दिनाँक 21.11.03	मै0 क्लास आउटफिट लैडिज वियरस लोअर मार्किट, शिमला	लैस तथा ड्रेस पर पिको	249
6971 दिनाँक 21.11.03	क्लास	बनवाई चार्जिज	3720

	आऊटफिटनेसिजज वियरस		
5806 दिनाँक 21.11.03	हिमाचल जनरल स्टोर लोअर बाजार शिमला	18 मीटर टेप	22
			8613

उक्त वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त सामग्री किस उद्देश्य के लिये खरीदी गई वाउचरों के साथ अभिलेख संलग्न नहीं था। इसके साथ–2 उक्त सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि भी सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई यह अनियमित है। अतः उक्त सामग्री को किस उद्देश्य हेतु खरीदा गया था इस बारे पूर्ण स्थिति स्पष्ट की जाए व खरीदे गये सामान की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में अब की जाए भण्डारण रजिस्टर में प्रविष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा भी सत्यापित करवाई जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए।

(9) पुस्तकालय निधि (Liabrary Fund)

(1) कालातीत पुस्तकालय प्रतिभूतियों को जब्त न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश सरकार के उक्त शिक्षा विभाग, शिमला के पत्र संख्या ई0डी0एन0–एच (8) B(4) 28/08 बजट–लईब दिनाँक 26.3.2009 में जारी निर्देशों के अनुसार यदि कोई विद्यार्थी विद्यालय छोड़ने के दो साल के भीतर जमा लाईब्रेरी प्रतिभूति राशि को संस्था से वापिस नहीं लेता तो उस पुस्तकालय प्रतिभूति को जब्त करके उसे अलग रोकड़ बही में दर्शाकर उसका उपयोग पुस्तकालय के लिये पुस्तकों की खरीद वाईडिंग, मैगजीन, अखबारों, पुस्तकालय फर्नीचर कम्पयुटर की खरीद आदि पर कर सकता है। अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिये निर्देशों के अनुसार जब्त की गई प्रतिभूति राशि की अलग रोकड़ बही का रख रखाव नहीं किया गया है यह अनियमित है। दिनाँक 31.3.14 तक पुस्तकालय प्रतिभूति के अन्तर्गत ₹59169/– अन्तिम शेष राशि हैं जिसमें पिछले तीन वर्ष 2011–12 में ₹1500 तथा 2012–13 में ₹900 तथा वर्ष 2013–14 में ₹1500/– अर्थात ₹3900/– की वसूली की गई जिससे यह स्पष्ट है कि ₹55269/– जब्त करने योग्य राशि है। (₹59169–₹3900=₹55269) जिसे जब्त न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये। अतः उक्त राशि ₹55269/– को जब्त करके अलग रोकड़ बही का रख–रखाव किया जाए व

इसका उपयोग शिक्षा विभाग के निर्देशों अनुसार महाविद्यालय पुस्तकालय के रख रखाव पर नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(2) ₹1000/– का अनियमित भुगतानः–

माह 7/2004 में छात्र पुस्तकालय प्रतिभूति निधि से ₹1000/– का भुगतान संस्था द्वारा होस्टल प्रतिभूति राशि के वापिस हेतु किया गया और यह भुगतान होस्टल प्रतिभूति निधि से न करके पुस्तकालय प्रतिभूति से किया जो एक गम्भीर अनियमितता है। अतः होस्टल प्रतिभूति का भुगतान पुस्तकालय प्रतिभूति निधि से करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये और उक्त किये गये अनियमित भुगतान की भरपाई होस्टल प्रतिभूति निधि से करके लाईब्रेरी प्रतिभूति निधि से अविलम्ब जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10 (1) फर्नीचर रिपेयर निधिः–

फर्नीचर रिपेयर निधि में से फर्नीचर की मुरम्मत के लिए निम्नलिखित भुगतान किया गया।

माह जिस में भुगतान किया	बिल सं0/दिनाँक	फर्म/व्यक्ति का नाम	उद्देश्य	राशि
12.9.03	–	श्री प्रताप सिंह	कुर्सी मुरम्मत व कैन लगाने के लिये	400
–यथोपरि–	46/4.9.03	मै0 हरि चन्द बिशन स्वरूप शाली बाजार ठियोग	कैन	40
–यथोपरि–	1855/20.8.03	मै0 जोशी प्रताप चन्द मिल्खी राम, ठियोग	कैन	205.20
				645.20
				Paid=645

18.10.05	शून्य	श्री काँशी राम ग्राम कुरमली क्यारटू तहसील ठियोग, जिला शिमला	डेस्क, कुर्सी आदि की मुरम्मत	2500
	51	मै0 नरेश सील फर्नीचर भोजपुर बाजार, सुन्दरनगर जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश	अलमारी, कुर्सी, रिवोलिंग कुर्सी मेज, नोटिस बोर्ड की मुरम्मत	7350

हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा 4.6.12 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार फर्नीचर निधि से व्यय कमेटी के गठन की Recommendation के पश्चात किया जाना अपेक्षित था जबकि संस्था के मुखिया द्वारा अपने स्तर पर ही संस्था के फर्नीचर की रिपेयर किया गया यह अनियमित है। अतः नियमानुसार बिना कमेटी बनाये और उसकी recommendation के बिना व्यय करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनियमित तरीके से किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में उक्त निधि का उपयोग समय–2 पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों एवं एजुकेशन कोड में दिये प्रावधानों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

2 उच्च शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार छात्र फर्नीचर निधि से छात्रों के प्रयोग हेतु Desks, window paus doors etc. के लिये व्यय किये जाने का प्रावधान है जबकि भुगतान वाऊचरों की जाँच पर पाया गया कि ₹645/– का व्यय संस्था की कुर्सियों की कैन लगाने तथा ₹7350/– का व्यय संस्था के स्टील अलमारी आदि की मुरम्मत पर व्यय किया जोकि संस्था के कार्यालय में उपयोग में है। अतः ₹645/– तथा ₹7350/– का व्यय निधि से उचित प्रभार नहीं माना जा सकता क्योंकि बिलों में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त व्यय संस्था की क्लासों में छात्रों के उपयोग हेतु फर्नीचर स्थापित पर व्यय किया गया। अतः इस बारे अपनी स्थिति स्पष्ट की जाये और उक्त व्यय यदि कार्यालय में स्थापित फर्नीचर पर किया गया है तो उसकी भरपाई उचित स्त्रोत से करके छात्र फर्नीचर मुरम्मत निधि में जमा किया जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

कैम्पस विकास निधि (Campus development fund)

11 **(क)** कैम्पस विकास निधि से कालेज में गेट तथा मुशावर को लगाने के लिए निम्नविवरणानुसार ₹5000/– का व्यय किया गया।

बिल नं0/कैश मैमों नं0 /दिनाँक	फर्म का नाम	मद	राशि
228/16.3.04	मै0 रूपेश कुमार राम मन्दिर मार्किट शिमला	1 नं0 गेट	2240
–यथोपरि–	–यथोपरि–	2 नं0 मुशावर	64
–यथोपरि–	–यथोपरि–	Carriage	30
			2334
शून्य/16.2.04	बस पर लोहा चढ़ाने पर व्यय	–	20
शून्य/ शून्य	क्यारटू से महाविद्यालय तक लाने पर व्यय	–	21
शून्य/24.4.03	शून्य	25कि0ग्रा0 सरिया	575
शून्य/ शून्य	नरेश कुमार	ढुलाई एवं खड से रेत निकालने का व्यय	180
शून्य/ शून्य	नियम प्रकाश क्यारटू	5 बैग सीमेन्ट	875
शून्य/ शून्य	राजेन्द्र	5 बैग ढुलाई	50
शून्य/ शून्य	लेबर पर व्यय		915
			5000

उक्त भुगतान के वाऊचरों की जाँच करने पर निमनलिखित अनियमितता पाई गई। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व वस्तुस्थिति अभिलेख सहित आगामी लेखा परीक्षा दर्शाई जाए।

(1) उपरोक्त खरीदे गये सामान की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई।

(2) उक्त वर्णित 25 कि0ग्रा0 सरिये व 5 बैग सीमेन्ट की खरीद से सम्बन्धित बिल/वाऊचर अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे केवल पावती संलग्न थी जिसके अभाव में व्यय की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

(3) बिलों के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा व्यय से सम्बन्धित स्वीकृति पत्र संलग्न नहीं था।

(4) इस कार्य को आरम्भ करने से पूर्व कोई भी प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था जिसके अभाव में व्यय की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इसके अतिरिक्त महाविद्यालय द्वारा कैम्पस डवेलपमैन्ट फंड से परिसर की झाड़ियों की कटाई एवं सफाई के लिये ₹4000/– का भुगतान किया गया जिसकी भुगतान से सम्बन्धित पावती अभिलेखों में पाई गई जबकि इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता कि उक्त कार्य का आंबटन किस आधार पर किया गया संलग्न नहीं था जबकि कार्य के आंबटन से पूर्व नियमानुसार निविदायें आमन्त्रित की जानी थी ताकि बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये न्यूनतम दर पर कार्य को करवाया जा सकता। अतः नियमानुसार औपचारिकताओं की पूर्ण न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अनियमित तरीके से किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए।

12 (1) पत्रिका निधिः–

महाविद्यालय मैगजीन का नियमित प्रकाशन न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पत्रिका निधि के अन्तर्गत महाविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष विद्यार्थियों से हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों की वसूली निम्नविवरणानुसार की गईः–

वर्ष	राशि ₹ में
2000–01	3320
2001–02	3195
2002–03	3750
2003–04	6650
2004–05	7250
2005–06	7150

2006–07	5350
2007–08	4650
2008–09	4475
2009–10	3325
2010–11	4950
2011–12	3450
2012–13	2650
2013–14	2600
	₹62765

लेखा परीक्षा में पाया गया कि केवल वर्ष 2013–14 में 218 पत्रिका (मधान मन्जरी) की छपवाई करवाकर विद्यार्थियों में वितरित की गई जबकि हिमाचल प्रदेश Education code में दिये प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त फण्ड में प्राप्त राशि से हर वर्ष विद्यार्थियों को वार्षिक पत्रिका का वितरण किया जाना अपेक्षित था। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में निर्देशानुसार नियमित रूप से पत्रिका का मुद्रण तथा विद्यार्थियों में इसका वितरण हर वर्ष किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त यह पत्रिकायें M/S Sehgal Printers & Packers, Rajgarh Road Solan से 218 नं0 पत्रिका ₹160+5**%** वैट की दर से छपवाई गई व कुल ₹36624/– का भुगतान किया गया। अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि Sehgal Printers & Packers, Solan द्वारा कोटेशन पर ₹160/– प्रति पत्रिका की दर आपूर्ति करने बारे लिखा गया था। Vat/Extra tax charge करने बारे कोई प्रावधान नहीं था। अतः प्रति पत्रिका के लिये ₹160/– की दर से ही भुगतान फर्मों को किया जाना अपेक्षित था। अतः फर्म को ₹1744/– वैट के रूप में अनुचित भुगतान किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए।

(2) उक्त पत्रिका की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई और न ही यह अभिलेख तैयार किया गया कि यह पत्रिकाऐं किस–2 विद्यार्थी को वितरित की गई यह अनियमित है। अतः आवश्यक अभिलेख अब तैयार करके स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा भी सत्यापित करवाई जाए।

13 चिकित्सा निधिः–

चिकित्सा निधि से दिनाँक 25.7.11 को विद्यार्थियों के First Aid के लिये M/S Chandel Medial Store, लोअर बाजार शिमला से C.M. No. 21927 दिनाँक 3.8.12 के तहत ₹679.15 की विभिन्न–2 प्रकार की औषधियों की खरीद की गई थी परन्तु इन औषधियों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई और न ही इनके वितरण से सम्बन्धित कोई अभिलेख तैयार किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए आवश्यक अभिलेख अब तैयार किया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

14 हाऊस परीक्षा निधिः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त निधि से संस्था में हाउस परीक्षा करने के लिये निम्नलिखित मासों में व्यय किया गयाः–

वर्ष	**माह**	**राशि ₹ में**
2004–05	12 / 04	2402
2011–12	12 / 11	2096
2012–13	1 / 13	2654
2013–14	–	–

वाऊचर संख्या शून्य माह 12 / 2014 के तहत ₹2402 / – का व्यय हाउस परीक्षा निधि से किया गया दर्शाया गया है। व्यय से सम्बन्धित वाऊचर को लेखा परीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त व्यय की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः उक्त भुगतान से सम्बन्धित बिलों / कैश मैमों तथा अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये जिन्हें अब ढूंढ़ा जाए व आगामी लेखा परीक्षा में आवश्यक सत्यापन हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा ₹2402 / – की उचित स्त्रोत से वसूली करके हाउस परीक्षा निधि में जमा किया जाए।

2 माह 12/2011 में विद्यार्थियों के हाऊस परीक्षा करवाने के लिये निम्नलिखित व्यय किया:–

बिल संख्या/दिनाँक	फर्म का नाम	मद	राशि ₹ में
192/12.12.11	M/S Gagan Printing Press, Theog H.P.	Ans Sheets 12 Pages	1300
	M/S Hardwari Lal Gur Prasad Sanjauli Shimla	2 Scale 1 Register 2 Pin Box 1Gum	129
2031/16.12.11	M/S Rajpal Stationery Mart Lower Bazar Shimla	2 Pen 8 Pen 8 Pen 5 Pen 1 Thread 2 Stempage	438
38793/शून्य	M/S Hari Dass & Co.Subzi Mandi Shimla	1 Addgel 1 Stapler	190
38794/14.12.11	-do-	3 Stapler pin	39
		Total	**2096**

हाऊस परीक्षा के लिये खरीद किये उक्त सामग्री से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जिसके अभाव में यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि वास्तव में उक्त सामग्री प्राप्त की गई है। इसके अतिरिक्त इस सामग्री की कितनी खपत हाऊस परीक्षा के दौरान हुई तथा कितनी बकाया में थी से सम्बन्धित विवरण भी तैयार नहीं किया गया था यह अनियमित है। पूर्ण विवरण सहित अब स्टॉक रजिस्टर तैयार किया जाए भण्डारण रजिस्टर में प्रविष्टियाँ सक्षम अधिकारी द्वारा भी सत्यापित करवाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(3) वर्ष 2012–13 में हाऊस परीक्षा के अन्तर्गत निम्नलिखित सामग्री की खरीद हेतु व्यय किया गया।

बिल संख्या/दिनाँक	फर्म का नाम	मद का ब्यौरा	राशि
304/15.12.12	मैसर्ज गगन प्रिटिंग प्रेस ठियोग, जिला शिमला	700 नं0 उत्तर पुस्तिकायें 12 पृष्ठ	1575
शून्य/22.12.12	श्री महेन्द्र कुमार नाल, क्यारटू, शिमला (नाल के आगे स्पष्ट नहीं है)	1 नं0 पेपर रिम	150
036/17.12.12	मै0 गोयल स्टोर शाली बाजार, ठियोग, हि0प्र0	1 नं0 Trey Big	
शून्य/15.12.12	मै0 एम0डी0एन0 क्याटू, शिमला	1 स्टेम्प पेड	20
		10 पेन लाल	100
		1 रिम कागज	150
		2 स्टेपलर	90
		2 रोल धागा	20
		50 ग्रा0 सेवा	50
		2 नं0 ब्लैड	2
		5 नं0 फाईल कवर	30
		12 कार्बन	24
		2 फेवी स्टीक	40
		40 लिफाफे सफेद	80
			606
806/19.12.12	Book Cover (Sachin) Shalli Bazar, Theog	10 No. Ball Pen	100
		2 Fluid Pen	50
			150

उक्त वाऊचरों के तहत किये गये भुगतान वाउचरों को सक्षम अधिकारी से बिना पारित करके भुगतान किया गया जोकि अनियमित था इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए। इसके अतिरिक्त

उक्त वाऊचरों द्वारा खरीद की सामग्री का मदवार प्राप्ति व उपयोग से सम्बन्धित ब्यौरा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया जिसका पूर्ण विवरण तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

15 छात्र निधियों से ₹68187/– का अनाधिकृत व्ययः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा नवनिर्माण भवन तथा शौचालय के उद्दघाटन पर विभिन्न छात्र निधि से ₹68187/– का व्यय निम्नविवरणानुसार किया गया।

वर्ष	**माह**	**निधि का नाम**	**व्यय राशि ₹ में**
2011–12	3/12	यूनियन निधि	32431
		भवन निधि	10300
		दण्ड निधि	25456
		कुल व्यय	**68187**

निधि से जिन–2 मदों पर व्यय किया उसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

निधि का नाम	**मद का ब्यौरा**	**राशि ₹ में**
मिश्रित निधि	मोमेन्टोज	18841
	लाईट एण्ड साँऊड	6000
	आमन्त्रण कार्डो पर	2500
	शालों की खरीद पर	2690
	लोहीये पर	1350
	हिमाचली टोपी पर	600
	वेज	450
	कुल व्यय	32431
अनुपस्थिति दण्ड निधि	पुस्तको पर	13023
	बैनर	1000
	टावल आदि	2100

	फ्रेम व लोगो (Logo)	600
	गाड़ी का किराया	2800
	हार आदि पर	850
	लड्डू	1100
	चूना, चाय के ग्लास आदि	663
	प्लास्टिक बाल्टी आदि पर	640
	चाय, नमकीन, बिस्कुट आदि पर	2000
	फोटोग्राफी पर	680
		25456
भवन निधि	Wall writing पर	4560
	Granite Blackstone	4400
	ढुलाई पर	40
	किराया शिमला से क्यार्टू	800
	Distamper	200
	उद्दघाटन पटिका बनाने पर	300
		10300

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश 1973 खण्ड–3 के अध्याय XLII में समाविष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके तहत संस्था के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह आदि पर छात्र निधियों से व्यय किया जाये। अतः महाविद्यालय द्वारा नवनिर्मित कमरे एवं शौचालय के उद्घाटन पर छात्र निधि से ₹68187/– का अनाधिकृत व्यय किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए उक्त राशि की भरपाई उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाया जाए विकल्प स्वरूप व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए।

(2) उदघाटन समारोह के लिए जिन–2 सामग्री की खरीद की गई उसकी प्राप्ति एवं उपयोग से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था जिसके अभाव में यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि उक्त सामग्री जैसे पुस्तिका, मोमेन्टोज, टोपियों, शालों, लोहियों, आमन्त्रण कार्ड इत्यादि किस–2 व्यक्ति विशेष विद्यार्थियों आदि को दिये गये का कोई भी उल्लेख वाऊचरों के साथ नहीं पाया गया। अतः अभिलेखों का रख रखाव न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और सामग्री को कहाँ–2 और कितनी–2 उपयोग की और

कितनी सामग्री बकाया में है। विवरण तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

16 अनुपस्थिति दण्ड निधिः–

(क) वर्ष 2012–13 में अनुपस्थिति दण्ड निधि से वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के आयोजन पर माह 3/2013 में ₹43886/– निम्नविवरणानुसार व्यय किया गया।

बिल नं0/दिनाँक	फर्म का नाम	मद का नाम	राशि ₹ में
13040213041/ 20.3.13	M/S Spectrum Instruments NH-21 Bhojpur, Sunder Nagar	Momentos & Medal	16440
0725/21.3.13	Distt Mandi Welcome, Offset Printing Seres Theog, Shimla	Invitation Card	630
शून्य	बिल पर फर्म का नाम नहीं है	Petty lunches boxes etc.	960
355831 व 355830/21.3.13	Bhuttico Shimla	2 Cap	300
610/21.3.13	M/S Chint Ram & Sons Lower Bazar, Shimla	2 No. Flower Base glass	270
14488/21.3.13	M/S Ram Chander Rana Nand 60, Lower Bazar Shimla	20 No. Ribbon Beidges	215
7770/21.3.13	M/S Ram Lal & Sons The Mall, Shimla	8 No. Pas	7350
शून्य/20.3.13	M/S Beenajee"s Sweets app. Rest House Naya Bazar Theog, Distt Shimla	बादाम, काजू, दाख, बदाणा, केले, अंगूर	1340
शून्य/22.3.13	–यथोपरि–	बर्फी, चमचम, सेवियाँ	2080
1605, 1621/20.3.	मै0 कात्यायन स्टेशनरी	पुस्तकें	5400

13	मार्ट पुराना बाजार, सुन्दर नगर		
शून्य / 23.3.13	शून्य	चूना, रंगोली का सामान, बिस्कुट, नमकीन	500
शून्य / 23.03.13	श्री मुकेश सत्ती क्यार्टू	313 कप चाय	1875
शून्य / 24.3.13	श्री हितेन्द्र कुमार खटनोल, सुन्नी जिला शिमला	पण्डाल एवं लाईट एंड साऊंड कुर्सियाँ मेट आदि	6500
			43860

उक्त वाऊचरों की जाँच करने पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईः—

मैसर्ज स्पैक्ट्रम इन्स्टोमैन्ट, सुन्दरनगर से 73 नं0 विभिन्न—2 प्रकार के मैमोन्टोस तथा 54 नं0 Gold Medal ₹16440 / — के खरीद की गई। इन मोमेन्टोस और Medals न तो स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की गई और न ही इनके विवरण से सम्बन्धित कोई अभिलेख तैयार किया गया जिसके अभाव में यह पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी की यह सामग्री किन—किन को वितरित की गई व कितनी मात्रा की खरीद की गई व स्टॉक में शेष है। अतः आवश्यक अभिलेख अब तैयार किया जाए व रजिस्टर की गई प्रविष्टियाँ सक्षम अधिकारी द्वारा भी सत्यापित करवाई जाए ताकि किसी प्रकार के दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा जा सके।

(ख) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश 1973 खण्ड—2 के अध्याय XLII में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार छात्र निधियों का उपयोग केवल संस्था के छात्रों के welfare के लिये किया जाना अपेक्षित है जबकि अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा वर्ष 2012—13, 2013—14 में वार्षिक पारितोषिक समारोह तक निम्नविवरणानुसार ₹22060 / — के ऐसे व्यय किये गये जो छात्र निधि पर उचित प्रभार प्रतीत नहीं होते। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से की जाए।

वर्ष	निधि का नाम	बिल संख्या / दिनाँक	फर्म का नाम	मद का ब्यौरा	राशि ₹ में
2012—13	दण्ड निधि	1200 / 20.3.12	गनपति चौधरी सेल्स लोअर बाजार, शिमला	टावल चादर आदि की खरीद	2100
		शून्य / 1.4.12	—शून्य—	हार की खरीद	850

				आदि	
	मिश्रित निधि	2516/21.3.12	Elegance The Mall, Shimla	250 Colour Prints of Cards	2500
	–यथोपरि–	277768/9.3.12	Bhuttico Shimla	1 Shawls 2 Lac.	2690
	–यथोपरि–	2647/19.3.12	Sunnu Shawal Etore Shimla	2 Cup 3 Lohi	1350
	–यथोपरि–	शून्य/21.3.12	दुकान का नाम नहीं दिया	3 Himachali Caps	600
2013–14	दण्ड निधि	725/21.3.13	Weldone offset Printing Sercies, Theog	200 No. I.Card	630
	–यथोपरि–	355831, 355830/ 21.3.13	Bhitțico	2 Cups	300
	–यथोपरि–	610/21.3.13	चिन्त राम एण्ड सन्स लोअर बाजार, शिमला	2 Flower Base Glass	270
	–यथोपरि–	7770/21.3.13	मैसर्ज राम लाल एण्ड सन्स दी माल, शिमला	9 Pcs नाम नहीं दर्शाया	7350
	–यथोपरि–	शून्य/22.3.13	वीनाजीस स्वीटस ठियोग, शिमला	बादाम, काजू, दाख, बदाणा केले, अंगूर आदि	1340
	–यथोपरि–	शून्य/22.3.13	–यथोपरि–	बर्फी, चमचम, सेवियाँ	2080
				कुल व्यय	**₹22060**

(ग) वाउचर संख्या 7770 दिनाँक 21.3.2013 के तहत ₹7350/– का भुगतान मैसर्ज राम लाल एण्ड सन्ज को वार्षिक पारितोषिक समारोह के आयोजन के दौरान किया गया दर्शाया गया है लेकिन अभिलेख/बिल में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया कि उक्त फर्म से कौन सी सामग्री खरीदी गई है जिसके अभाव में व्यय की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी यह गम्भीर अनियमितता है। इस बारे स्थिति स्पष्ट कि जाए अन्यथा उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपस्थिति निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वार्षिक पारितोषिक समारोह के लिये संस्था ने सुन्दरनगर जिला मण्डी से अनुपस्थिति दण्ड निधि से ₹18423/– की पुस्तकें खरीदी गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

बिल संख्या/दिनाँक	**फर्म का नाम**	**मद का ब्यौरा**	**राशि ₹ में**
1605 व 1621/ 20.3.13	कात्यायन स्टेंशनरी मार्ट, सुन्दरनगर मण्डी, हिमाचल प्रदेश	पुस्तकों की खरीद	5400
1872/10.3.12	–यथोपरि–	–यथोपरि–	13023
			18423

उक्त व्यय से निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईः–

(1) उक्त पुस्तकों की खरीद से पूर्व औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की गई क्योंकि नियमानुसार उक्त पुस्तकों की खरीद से पूर्व बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये कोटेशन आदि प्राप्त कर न्यूनतम दर के हिसाब से खरीद की जानी अपेक्षित थी जबकि संस्था ने उक्त संस्था ने उक्त खरीद बिना कोटेशन आमन्त्रित किये सुन्दरनगर जिला मण्डी से की जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व अनियमित तरीके से किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए और भविष्य में इस प्रकार की खरीद बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये कोटेशन आमन्त्रित कर नजदीकी स्टेशन से की जानी सुनिश्चित की जाये।

(2) अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि पुस्तकों तथा मोमेन्टो की सुन्दरनगर से क्यार्टू तक लाने के लिए ₹2800/– का भुगतान किराये के रूप में किया जबकि यदि यह खरीद बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये शिमला या ठियोग से किया जाता तो उक्त किये गये अनुचित व्यय ₹2800/– के स्थान पर कम किराया का भुगतान करना पड़ता और छात्र निधि का अपव्यय से बचा जा सकता। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए यह प्रकरण शिक्षा

विभाग के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

(ङ) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2011—12 तथा वर्ष 2012—13 में वार्षिक पारितोषिक समारोह में लाईट एण्ड साँऊड टैन्ट तथा कुर्सियों को लगाने के लिये दण्ड निधि/मिश्रित निधि से निम्नलिखित भुगतान किया गया।

निधि का नाम	बिल संख्या/दिनाँक	फर्म का नाम	राशि ₹ में
मिश्रित निधि	शून्य/12.4.12	मै0 कृष्णा टैन्ट हाऊस पंचायत भवन, सरोग	6000
दण्ड शुल्क	शून्य/24.3.13	श्री हितेन्द्र कुमार शर्मा लाईट व साँऊड खटनोल सुन्नी जिला शिमला	6500

उक्त भुगतान बिना औपचारिकता पूर्ण किए किया गया जबकि यह भुगतान निविदाओं के आधार पर किया जाना अपेक्षित था जबकि नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा का लाभ न उठाते हुये ये सामान की आपूर्ति उक्त फर्मों से की जोकि अनियमित था। अतः बिना बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये लाईट एण्ड साऊँड, टैन्ट तथा कुर्सियाँ लगाने के लिये उक्त व्यक्ति/फर्म को आदेश/आपूर्ति करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इस व्यय को नियमित करवाया जाए। इसके अतिरिक्त उक्त आपूर्ति से सम्बन्धित कोई भी बिल अभिलेखों में नहीं पाया गया और फर्मों से रसीद प्राप्त कर भुगतान किया गया जोकि अनियमित था। अतः फर्मों से बिल न प्राप्त कर सीधे भुगतान करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये और भविष्य में भुगतान करने से पूर्व बिल प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

17 महाविद्यालय परिचय विवरणिका निधि (prospectes fund)

विभिन्न—2 वर्षों में परिचय विवरणिका से छात्रों की एडमिशन के लिये निम्नलिखित फर्मों से प्रोस्पैक्टस की छपवाई करवाई गई।

वर्ष	बिल संख्या/दिनाँक	फर्म का नाम	मद का ब्यौरा	राशि ₹ में
2004—05	219/15.6.04	गगन प्रिंटिंग प्रैस रहीघाट, ठियोग	300 No. prospectes 300 No. Adm. Forms	3600 900

		शिमला	300 No. Students Cards	450
			Total	**4950**
2005–06	312/21.6.05	गगन प्रिटिंग प्रैस	300 No. prospectes	4900
		रहीघाट, ठियोग	300 No. Adm. Forms	1050
		शिमला	300 No. Students Cards	700
			Total	6650
2006–07	405/16.6.06	गगन प्रिटिंग प्रैस	300 No. prospectes	4900
		रहीघाट, ठियोग	300 No. Adm. Forms	1050
		शिमला	300 No. Students Cards	700
			Total	**6650**
2007–08	171/1.6.07	गगन प्रिटिंग प्रैस	250 No. prospectes	3750
		रहीघाट, ठियोग	250 No. Adm. Forms	750
		शिमला	250 No.Record Cards	500
			Total	**5000**
2009–10	014/2.6.09	गगन प्रिटिंग प्रैस	300 No. prospectes	4500
		रहीघाट, ठियोग	300 No. Adm. Forms	900
		शिमला	300 No. Record Cards	600
			Total	**6000**
2011–12	123/28.5.11	गगन प्रिटिंग प्रैस	200 No. prospectes	4600
		रहीघाट, ठियोग		
		शिमला		
2012–13	235/5.6.12	गगन प्रिटिंग प्रैस	100 No. prospectes	900
		रहीघाट, ठियोग	cover	400
		शिमला	100 No. inside paper	200
			100 No. stiching	
			bindings	
			Total	**1500**

संस्था द्वारा जो उक्त प्रोस्पैक्टस तथा अन्य स्टूडेन्टस कार्ड की आपूर्ति की गई इसकी स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई। इसके अतिरिक्त साथ–2 छपवाई करवाये प्रोस्पैक्टस से कितने प्रोस्पेक्टस बेचे गये तथा कितने बकाया में थे, का कोई ब्यौरा लेखा

परीक्षा विभाग में संस्था द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में उक्त भुगतान के सत्यता के पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। स्टॉक रजिस्टर में इन वस्तुओं की प्रविष्टियाँ अब की जाए व भण्डारण रजिस्टर में प्रविष्टियाँ सक्षम अधिकारी द्वारा भी सत्यापित करवाई जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाये।

18 पहचान पत्र निधिः–

संस्था द्वारा छात्रों को पहचान पत्र जारी करने के लिये निम्नलिखित विवरणानुसार पहचान पत्र की खरीद की गई।

बिल संख्या / दिनाँक	फर्म का नाम	मद का ब्यौरा	राशि ₹ में
106 / 17.11.05	Chandigarh Digital Colour lab. Sunar Nagar Mandi	280 No. I. Card	1400
407 / 16.6.06	Gagan Printing Press Rahighat, Theog	400 Piecs I. Card	1200
041 / 14.6.08	Gagan Printing Press Rahighat, Theog	500 No. I.Card	1500

उक्त वाऊचरों संख्या 041 दिनाँक 14.6.2008 के तहत ₹1500 / – के 500 नम्बर पहचान पत्र मैसर्ज गगन प्रिटिंग प्रैस रईघाट ठियोग से छपवाये गये थे लेकिन खरीद गये इन पहचान पत्रों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि से सम्बन्धित ब्यौरा बिल पर अंकित नहीं किया गया था। अतः पहचान पत्रों की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

उक्त के अतिरिक्त दिनाँक 17.11.05 को Chandigarh digital colour lab, Sunder Nager, Mandi से 208 नं0 छात्रा पहचान पत्र ₹5 प्रति कार्ड के दर से खरीद की गई जबकि M/S Gagan Printing Press Rehighat, Theog से दिनाँक 16.6.06 को खरीद किये पहचान पत्र को ₹3 प्रति पहचान पत्र की दर से खरीदे गये थे। अतः इस प्रकार दिनाँक 17.11.05 को खरीद किये पहचान पत्र में ₹560 / – का अधिक भुगतान किया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था ने बिना बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये पहचान पत्र की खरीद सुन्दरनगर जिला मण्डी से की जोकि अनियमित था जिस बारे स्थिति स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹560 / – अनुचित भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(1) उक्त खरीद किये पहचान पत्रों में कितने पहचान पत्रों का आंबटन संस्था के छात्रों को किया गया तथा कितने बकाया में थे, के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि इस प्रकार के अभिलेख का रख रखाव संस्था द्वारा नहीं किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व अभिलेख अब तैयार करके सक्षम अधिकारी द्वारा भी सत्यापित करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2000—01 से 2002—03 के दौरान संस्था के छात्रों से न तो पहचान पत्र निधि की वसूली की गई और न ही छात्रों को पहचान पत्र जारी किये गये जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(2) पहचान पत्र छात्रों को जारी न करने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था के छात्रों से हर वर्ष पहचान पत्र निधि के अन्तर्गत सरकार द्वारा निर्धारित दरों की वसूली की गई जिसका विवरण व्यय सहित निम्न प्रकार से हैः—

वर्ष	निधि को प्राप्त आय	पहचान पत्र पर व्यय
2003—04	1330	—
2004—05	1450	—
2005—06	1430	1400
2006—07	1070	1200
2007—08	930	—
2008—09	895	1500
2009—10	665	—
2010—11	990	—
2011—12	700	—
2012—13	530	250
2013—14	510	—

उक्त विवरणिका के अनुसार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा छात्रों को प्रतिवर्ष नियमित रूप से पहचान पत्र नहीं छपवाये गये। संस्था द्वारा केवल वर्ष 2005—06, 2006—07, 2008—09 तथा वर्ष 2012—13 में ही पहचान पत्रों का आंबटन किया गया प्रतीत होता है जबकि नियमानुसार संस्था द्वारा छात्रों को हर वर्ष पहचान पत्र जारी करने का प्रावधान है। अतः संस्था द्वारा प्रतिवर्ष/हर वर्ष छात्रों को पहचान पत्र जारी न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और भविष्य

में छात्रों को हर वर्ष नियमानुसार पहचान पत्र जारी किये जाने सुनिश्चित किये जाये और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

19 निधियों की निधिवार समेकित रोकड़ बही न बनाई जानाः—

छात्र निधि लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक छात्र निधि की रोकड़ बही व बचत खाता पृथक—2 तैयार/खोला गया है। इस प्रक्रियानुसार महाविद्यालय में कई रोकड़ बही प्रयोग में लाई गई है जो कि तर्कसंगत नहीं है समस्त निधियों के लिए एक निधिवार (Multi Coloumn) समेकित रोकड़ बही प्रयोग में लाई जाए ताकि प्रत्येक निधि की वित्तीय स्थिति स्वतः स्पष्ट हो सके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 लघु आपति विवरणिकाः— इसे अलग से जारी नहीं किया गया।

21 निष्कर्षः— लेखाओं के उचित अनुरक्षण में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एलए0)एच(2)सी(15)(xi)(i)281/14 खण्ड—1—2257—2259 दिनांक 12.05.2015, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत 1. प्राचार्य, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय क्यारटू, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।

2 प्रधान सचिव (उच्चत्तर शिक्षा) हिमाचल प्रदेश शिमला—171002

3 निदेशक, शिक्षा (उच्चत्तर शिक्षा) विभाग हि0प्र0 शिमला—171002

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.